UPMT010014732026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, जनपद मथुरा

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6191}

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–663/2026

प्रताप आदि बनाम उ.प्र.राज्य

1. अभियुक्तगण **प्रताप, प्रहलाद, मुनेश व सुरेन्द्र उर्फ स्वराज** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–111/2026 धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना–जैंत, जिला– मथुरा में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी चन्दन सिंह पुत्र कमल सिंह निवासी गाँव परखम गूजर तहसील छाता जिला मथुरा का रहने वाला है। दिनांक 08.02.2026 को समय लगभग 01:00 बजे जमीन के विवाद को लेकर गाँव बाजना में समाज के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक पंचायत बैठाई गयी थी, ताकि उक्त भूमि विवाद को सुलझाया जा सके। पंचायत के दौरान सुरेन्द्र उर्फ स्वराज पुत्र प्रताप निवासी गाँव बाजना द्वारा पंचायत के सामने प्रार्थी के ऊपर गोली चलाई गयी। उसके साथ उसके परिवार के मुनेश पुत्र प्रताप, जग्गा पुत्र मान सिंह, प्रहलाद पुत्र रज्जो तथा प्रताप पुत्र छटटी आदि भी मौजूद थे। चली हुई गोली प्रार्थी को छूते हुए निकल गयी, जिससे प्रार्थी बाल–बाल बच गया। उक्त सभी व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। अतः उक्त प्रकरण में उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण **प्रताप, प्रहलाद, मुनेश व सुरेन्द्र** के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं० 111/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।
4. अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण को वर्तमान केस में झूठा फंसाया गया है, जबकि वह पूर्णतया निर्दोष हैं। अभियोजन कथानक कपोलकल्पित, काल्पनिक एवं निराधार है, जिसमें कोई सच्चाई एवं वास्तविकता नहीं है। आवेदकगण/प्रार्थीगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। वादी चन्दन सिंह की ओर से प्र०सू०रि० देरी से दर्ज करायी गई है और इस देरी का कोई भी युक्तियुक्त कारण प्र०सू०रि० में वर्णित नहीं किया गया है। प्र०सू०रि० से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मुनेश, जग्गा, प्रहलाद और प्रताप ने वादी के ऊपर कोई गोली नहीं चलाई। वादी वास्तविकता एवं सच्चाई को छुपाते हुए नितान्त फर्जी तथ्यों के आधार पर पुलिस के

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.19 10:22:29 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साथ सांठ–गांठ कर वर्तमान फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर आवेदकगण/प्रार्थीगण को झूठा फंसाया है। सच्चाई एवं वास्तविकता यह है कि वादी चन्दन सिंह जमीनों की दलाली का काम करता है। वादी चन्दन सिंह व उसके भाई भारत सिंह ने निधि अग्रवाल नि०–वनखंडी वृन्दावन व श्रीमती साधना अग्रवाल नि०–पुराना बाजार, वृन्दावन के साथ मिलकर अभि० सुरेन्द्र के पिता प्रताप सिंह की बेशकीमती जमीन का फर्जी बैनामा उक्त निधि व साधना के नाम करा दिया जिसकी जानकारी होने पर प्रताप सिंह ने एक दीवानी वाद सं० 391/2025 न्यायालय सिविल जज, जू०डि० छाता, मथुरा में दायर किया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त फर्जी मुकदमा प्रार्थीगण के विरूद्ध उन पर दबाब बनाकर बेशकीमती जमीन को हड़पने के उद्देश्य से कायम कराया है। आवेदकगण/प्रार्थीगण को पुलिस द्वारा किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी सुरेन्द्र उर्फ स्वराज के विरूद्ध पूर्व में एक मु०अ०सं० 1143/2018 पंजीकृत हुआ था, जिसमें प्रार्थी की जमानत होने के बाद उपरोक्त मुकदमा राजीनामा के आधार पर समाप्त हो चुका है। इसके अलावा प्रार्थी सुरेन्द्र उर्फ स्वराज का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण/प्रार्थीगण पूर्व सजायापता नहीं है। उक्त आधार पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी ।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध कर प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की याचना की गयी।
6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के स्तर पर **धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता)** के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि, वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–
   (1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
   (2) आवेदक का पूर्ववत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है ?
   (3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
   (4) जहाँ आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है या अग्रिम जमानत स्वीकार करने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
8. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ स्वराज द्वारा वादी चन्दन सिंह पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई, जो उसे छूते हुए निकल गई। घटना के समय

अन्य सह–अभियुक्तगण भी उपस्थित थे और उन पर सामूहिक रूप से वादी की हत्या का प्रयास करने का आरोप है।

9. अभियुक्तगण का कथन है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, प्राथमिकी में विलम्ब है, घटना असत्य है तथा वास्तविकता भूमि विवाद से संबंधित दीवानी वाद है। यह भी कहा गया कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और गिरफ्तारी की आशंका के कारण अग्रिम जमानत की प्रार्थना की गई है।

10. प्रथम दृष्टया दर्शित है कि घटना पंचायत जैसे सार्वजनिक मंच पर घटित होना बताई गई है, जहाँ अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति स्वाभाविक है। ऐसे स्थान पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर किसी व्यक्ति पर गोली चलाना अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है। अभियोजन के अनुसार फायर सीधे वादी को लक्ष्य कर किया गया, जो मात्र संयोगवश बच गया। इस प्रकार के आरोप भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं और समाज में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करते हैं। अब तक कि विवेचना में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः–18.03.2026

डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191